



पत्रांक:-6833/वि०वि०ख०द्वि०(ल०)/

दिनांक:- 23 / 10 / 2023

विषय-प्राक्कलन की (निरूपण पत्र) टी०सी० धनराशि जमा कराने के सम्बन्ध में।

श्री जशरथ पुत्र श्री खलक सिंह
साईट- बरेजा।

प्राक्कलन सं०-418/2023-24

FULL DEPOSIT

पी०टी०डब्लू० पोर्टल

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके द्वारा दिये गये आवेदन सं० 1008331683 के अनुपालन में उपखण्ड अधिकारी एवं अवर अभियन्ता द्वारा प्रेषित प्राक्कलन के अनुसार प्राक्कलन की टी०सी० का विवरण निम्नवत् है।

1. लाइन चार्ज	रु० 109451.00
2. जमानत राशि	रु० 2400.00
कुल योग	रु० 111851.00

- उपरोक्त संदर्भित धनराशि का भुगतान UPPCL की वेबसाइट **PTW PORTAL** के माध्यम से जमा किया जायेगा।
- सौ रूपये के नॉन जुडीषियल स्टाम्प पेपर पर जिस पर 1/-रुपये का रेवेन्यू टिकट लगा हो, अनुबन्ध करने हेतु इस कार्यालय में किसी दिन कार्य दिवस में दो गवाहों के साथ उपस्थित हों।
- भारतीय स्टेट बैंक के मद 43 बिजली पर कर और शुल्क 102 भारतीय विजली नियमावली के अन्तर्गत फीस रु० 1200.00 जमा करें एवं चालान इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
- मीटर डिक्लेरेशन फार्म-ए एवं बी० एण्ड एल० फार्म प्रस्तुत करें।
- उपभोक्ता द्वारा मोटर एवं शंट कैपिसिटर (के०वी०ए०आर० सहित) की खरीद मूल रसीद एवं मोटर प्लेट का पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत करें।
- अनुबंध के समय नवीन खसरा/खतोनी की प्रति तथा वी०डी०ओ० द्वारा प्रदत्त बोरिंग प्रमाण पत्र एवं आवेदक की दो नवीन ए-4 साईज फोटो के साथ किसी कार्य दिवस में कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी के समस्त उपस्थित हों।
- विद्युत भण्डार केन्द्र ललितपुर से सामग्री की दुलाई एवं लाइन निर्माण में मजदूरों की व्यवस्था आवेदक द्वारा स्वयं की जानी है।

जब तक सामग्री निर्गत नहीं होगी जबतक स्टीमेंट ईआरपी (ऑनलाइन प्रक्रिया) सिस्टम पर पास नहीं होगा। पैसा जमा करने से पहले जानकारी कर ले कि आपका स्टीमेंट ऑनलाइन प्रक्रिया से बना है या नहीं अगर नहीं तो पैसा जमा न करें।

नोट- यदि आप द्वारा नियम व शर्त निर्गमन के 01 माह के अन्दर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की जाती हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको विद्युत भार की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका स्वीकृत विद्युत भार बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

अधिष्ठाता अभियन्ता

पत्रांक /वि०वि०ख०द्वि०(ल०)/

दिनांक

प्रतिलिपि:-

उपखण्ड-अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड-द्वितीय/तृतीय/षष्ठम/सप्तम को सूचनार्थ एवं आवधिक कार्यदाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता



Office of the Executive Engineer
Electricity Distribution Division-II
Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.
Lalitpur

418/2023-24

OFFICE MEMORANDUM
WORK UNDER DEPOSIT/DEPARTMENT

Name Of Estimate: JASHRATH VILLAGE BAREJA

Department: Electricity Distribution Division-II
Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited
Lalitpur

Head - 42 METER DISTANCE

New Head
New Head of Account :

Rs.

Chargable to Departement

Rs. 109451.00

Chargable to Consumer

Total Amount Rs. 109451.00

Allocation Checked


Checked


D/MAN


D.A.(W)/A.A.

Executive Engineer

Sactioned for Rs. Chargeable to Department Rs. Account Head No.....
As above...LMV-5for the year.....2023-24.....and registered the office sanction No.....
with Sanctioned..... KW.....


Executive Engineer

Copy forwarded to the following for the information and necessary action.

1. Sub-Division Office, Elect./Rural Elect. Division Sub-Division, Lalitpur in reference to his letter No.E.D.S.D-II, E.D.S.D-III E.D.S.D.-VI, E.D.S.D.-VII.Date.....
2. Draftsman, Electricity Distribution Division-II, Lalitpur.
3. Agreement Clerk, Electricity Distribution Division-II, Lalitpur.
4. Divisional/Account, Electricity Distribution Division-II, Lalitpur.